राजीव नारायण रैना से पहले**, जे.**

राम रतन और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी 2011 का सी. डब्ल्यू. पी. No.23408

13 दिसंबर, 2016

भारत का संविधान**, 1950-**कला।**14, 16** और **39 (**डी**)-**हरियाणा मत्स्य पालन विभाग **(**राज्य सेवा समूह सी**)** नियम**, 1979-**परिशिष्ट ए-अनुभागीय अधिकारी **(**सिविल**)** के पद को जे**.** ई**. (**सिविल**)** के रूप में पुनः नामित करना और अन्य विभागों में काम प्रतिवादी कनिष्ठ अभियंताओं के समतुल्य वेतन संशोधन**-**आयोजित**,** पदों का समीकरण अदालत के अधिकार क्षेत्र से परे एक कार्यकारी कार्य है जब तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद **14,16** और **(39** डी**)** की कोई विशिष्ट विशेषताओं और सिद्धांतों के बिना हर तरह से दो पदों की पूरी पहचान न हो**,** तभी इसे लागू किया जा सकता है**-**असमानता उचित वर्गीकरण के बिना होनी चाहिए**-**दो समूहों को एक समान वर्ग का गठन करना चाहिए**-**मत्स्य पालन विभाग में एस**.** ओ**. (**सिविल**)** का पद और हरियाणा राज्य के इंजीनियरिंग विभाग की अन्य शाखाओं में कनिष्ठ अभियंता और अन्यत्र समान नहीं है **--** नौकरी प्रोफ़ाइल और कर्तव्यों की प्रकृति गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से पीडब्ल्यूडी के तीन विंगों में उनके समकक्षों की तुलना में भिन्न और निम्न है **-** इस प्रकार**,** विसंगति का मामला नहीं है **-** याचिकाकर्ता विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं अलग**-**अलग सेवा शर्तें**-**इसलिए**,** यह नहीं कहा जा सकता कि पद को फिर से नामित करने से इनकार करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई किसी भी तरह से अवैध**,** अनुचित या असंवैधानिक है**-**पुन**:** पदनाम को अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पदों का समीकरण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे एक कार्यकारी कार्य है जब तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 और अनुच्छेद 39 (डी) में कोई विशिष्ट विशेषताओं और सिद्धांतों के बिना हर तरह से दो पदों की पूरी पहचान न हो, तभी लागू किया जा सकता है जिसका अर्थ है कि असमानता

उचित वर्गीकरण के बिना होनी चाहिए और दोनों समूह एक समरूप वर्ग का निर्माण करते हैं।मत्स्य पालन विभाग में अनुभागीय अधिकारी (सिविल) और हरियाणा राज्य के इंजीनियरिंग विभागों की अन्य शाखाओं और अन्य जगहों पर जूनियर इंजीनियरों के पद की ऐसी कोई समानता नहीं है, या उस मामले के लिए मत्स्य पालन विभाग में सहायक इंजीनियर (सिविल) (याचिकाकर्ता संख्या 9) और जूनियर

अन्य विभागों में इंजीनियर (सिविल)।लोक निर्माण विभाग की तीनों शाखाओं में उनके समकक्षों की तुलना में नौकरी की रूपरेखा और कर्तव्यों की प्रकृति गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अलग और घटिया है।यदि कृषि विभाग के अनुभागीय अधिकारी के सी. डब्ल्यू. पी.संख्या 4216 / 2001 में एस. के. यादव और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक से सफल हुए और अन्य ने 9 जुलाई, 2002 को याचिकाकर्ताओं को 1 मई, 1989 से जूनियर इंजीनियरों के समान वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया, तो याचिकाकर्ताओं को कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि प्रत्येक मामले का निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर किया जाना है।

(पैरा 4)

बी. एस. राणा, वरिष्ठ अधिवक्ता

संचित पुनिया, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ताओं के लिए।

श्रुति जैन गोयल, ए. ए. जी, हरियाणा।

राजीव नारायण रायना, जे।

(1) याचिकाकर्ता हरियाणा के मत्स्य विभाग में अनुभागीय अधिकारी (सिविल) और सहायक अभियंता (सिविल) हैं।वे इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से संबंधित हैं।उनका दावा है कि उनका पद लोक निर्माण विभाग की तीन शाखाओं में कनिष्ठ अभियंताओं के पद के समान है।1979 में विभागीय अधिकारी के पद को पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग में जूनियर इंजीनियर के रूप में फिर से नामित किया गया था।इसी तरह, हरियाणा सरकार के अन्य विभागों, जैसे पंचायती राज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हुडा और कृषि विभाग में इस पद को जूनियर इंजीनियर के रूप में फिर से नामित किया गया था।जहां तक संबंध है, ए. ई.

(सिविल) के पद को हरियाणा के अन्य सरकारी विभागों के सहायक अभियंताओं के लिए स्वीकार्य वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है।याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अनुभागीय अधिकारी (सिविल) के वेतनमान में विसंगति 1 अप्रैल, 1979 से बनी हुई है।उनका दावा है कि उन्हें शुरू में हरियाणा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (वर्तमान में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के रूप में जाना जाता है) द्वारा पीडब्ल्यूडी की तीन शाखाओं सहित विभिन्न विभागों के लिए अनुभागीय अधिकारी (सिविल) के पद पर भर्ती के लिए एक संयुक्त विज्ञापन में भर्ती किया गया था।याचिकाकर्ता संख्या 9 को वर्ष 1975 में मत्स्य पालन विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया था।जहाँ तक अन्य याचिकाकर्ताओं का संबंध है, मत्स्य पालन विभाग में नियुक्ति का तरीका और वर्ष बाद में अलग-अलग तिथियों पर होता है। उन्हें शुरू में 1983 से 1994 तक एफ. एफ. डी. ए. में नियुक्त किया गया था और 2004 और 2006 में क्रमशः मत्स्य पालन विभाग में शामिल किया गया था।इसलिए, राज्य इस याचिका के खंडन में तर्क देता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 से 8 में

1 अप्रैल, 1979 से वेतन संशोधन को चुनौती देने या इस आशय का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि अनुभागीय अधिकारी (सिविल) के पद को हरियाणा के अन्य सरकारी विभागों के बराबर लाने के लिए जे. ई. (सिविल) के रूप में फिर से नामित किया जाए।

(2) जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 9-रमेश चंद का सवाल है, वह 12 नवंबर, 1975 को एसओ (सिविल) के रूप में शामिल हुए और 02 अगस्त, 1987 को सहायक अभियंता (ग्रुप-बी) के रूप में पदोन्नत हुए। उन्होंने एक रिट याचिका दायर की। 02 जून 1989 के सरकारी पत्र के अनुसार वेतनमान देने के लिए 1997 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10087, जिसे डिवीजन बेंच ने 20 जुलाई 1998 को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वेतनमान को बढ़ाकर रुपये करने की अधिसूचना का लाभ। 3000-4500 रुपये वेतनमान वाले इंजीनियरों को ही दिया जाता था। जबकि याचिकाकर्ताओं को 2000-3500 रुपये के वेतनमान में रखा गया था। 2000- 3200. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें जूनियर इंजीनियरों के रूप में फिर से नामित किया जाए और तदनुसार उन्हें अन्य विभागों में काम करने वाले जूनियर इंजीनियरों के लिए स्वीकार्य वेतनमान में वेतन दिया जाए। इसलिए, उनकी पहली दिशा यह है कि उनके पद को जूनियर इंजीनियर के रूप में परिवर्तित किया जाए और फिर उन्हें जेई के उच्च वेतनमान में रखा जाए।

(3) राज्य ने अपने जवाब में कहा कि यह मामला वेतन विसंगति का नहीं है, बल्कि मत्स्य पालन विभाग में पदों के नामकरण में बदलाव का है।राज्य को यह प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है कि मत्स्य पालन विभाग में सहायक अभियंताओं (सिविल) और अनुभागीय अधिकारियों (सिविल) ने अधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया था जिसे 7 जनवरी, 2011 को आयोजित विसंगति समिति की बैठक में रखा गया था और अनुरोध को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया था:-

"समिति ने पाया कि एडी ने मांग की सिफारिश नहीं की है।नौकरी की रूपरेखा और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति पीडब्ल्यूडी (तीन शाखाओं) में उनके समकक्ष की तुलना में गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अलग/घटिया है।दोनों कैडरों के तराजू में कोई ऐतिहासिक और स्थापित समानता नहीं है।केवल योग्यता समानता के आधार पर 20.04.2001 दिनांकित प्रत्येक निर्देश के अनुसार दावा नहीं किया जा सकता है।इसलिए समिति ने सहायक अभियंता (सिविल) और अनुभागीय अधिकारी (सिविल) की पीडब्ल्यूडी (तीन शाखाओं) में अपने समकक्षों के साथ वेतन समानता प्रदान करने की मांग को योग्यता से रहित बताते हुए खारिज कर दिया।"

(4) मत्स्य पालन विभाग के अनुभागीय अधिकारी (सिविल) के पद को फिर से नामित करने का प्रस्ताव एक बार निदेशक द्वारा अनुशंसित किया गया था और कागजात को अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजे गए थे।

हरियाणा सरकार, मत्स्य पालन विभाग ने 6 अक्टूबर, 2015 के ज्ञापन के माध्यम से इस पर विचार किया और प्रधान सचिव ने 1997 के सी. डब्ल्यू. पी. No.6357 के साथ प्रेम चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [वर्तमान में से डी-टैग किए गए हैं] और यह मामला आदेश द्वारा 21 सितंबर, 2016 के ज्ञापन के माध्यम से निदेशक मत्स्य पालन को सूचित किया गया था कि मत्स्य पालन विभाग में एस. ओ. (सिविल) के प्रस्ताव/अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।यह आम बात है कि हरियाणा मत्स्य विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) का कोई पद नामित नहीं है।(राज्य सेवा समूह सी) नियम, 1979 ("1979 नियम")।परिशिष्ट-ए इस तथ्य की पुष्टि करता है।राज्य ने अपने उत्तर में तर्क दिया है कि पद की वेतन संरचना सरकार द्वारा कर्तव्यों की प्रकृति और पद की जिम्मेदारियों, समान नौकरियों के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संबंध, पदोन्नति के अवसर, अधिकारी में निहित शक्ति की सीमा जैसे कई कारकों को ध्यान में रखते हुए तय

की जाती है।मत्स्य पालन विभाग में एस. ओ. (सिविल) और अन्य विभागों में कनिष्ठ अभियंताओं के बीच केवल समान योग्यता के आधार पर पदानुक्रम में किसी पद की नियुक्ति को समान पदनाम और वेतनमान के दावे का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है।अनुभाग अधिकारी (सिविल) का वेतनमान परिशिष्ट-ए में निर्धारित किया गया है। यह तय कानून है कि पदों का समीकरण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे एक कार्यकारी कार्य है जब तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 और अनुच्छेद 39 (डी) में कोई विशिष्ट विशेषताओं और सिद्धांतों के बिना हर तरह से दो पदों की पूरी पहचान न हो, तभी लागू किया जा सकता है जिसका अर्थ है कि असमानता उचित खंडीकरण के बिना होनी चाहिए और दोनों समूह एक समरूप खंड का निर्माण करते हैं। मत्स्य पालन विभाग में अनुभागीय अधिकारी (सिविल) और हरियाणा राज्य के इंजीनियरिंग विभागों की अन्य शाखाओं और अन्य जगहों पर जूनियर इंजीनियरों के पद की ऐसी कोई समानता नहीं है, या उस मामले के लिए मत्स्य पालन विभाग में सहायक इंजीनियर (सिविल) (याचिकाकर्ता संख्या 9) और अन्य विभागों में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद की ऐसी कोई समानता नहीं है।लोक निर्माण विभाग की तीनों शाखाओं में उनके समकक्षों की तुलना में नौकरी की रूपरेखा और कर्तव्यों की प्रकृति गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अलग और घटिया है।यदि कृषि विभाग के विभागीय अधिकारी 2001 के सी. डब्ल्यू. पी. No.4216 में सफल हुए शीर्षक एस. के. यादव और दूसरा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 9 जुलाई, 2002 को निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ताओं को 1 मई, 1989 से जूनियर इंजीनियरों के समान वेतनमान प्रदान करने से याचिकाकर्ताओं को कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों पर किया जाना है।

(5) विभिन्न विभागों में एक ही पदनाम के आधार पर वेतनमान में समानता की मांग करना एक जटिल मामला है जो

आम तौर पर विशेषज्ञ निकायों यानी वित्त विभाग और वेतन आयोग पर छोड़ दिया जाता है।अदालतों द्वारा हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक है जब किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर स्पष्ट और जोरदार सामग्री हो कि किसी दिए गए पद के लिए वेतनमान तय करते समय गंभीर त्रुटि हुई थी और अन्याय को पूर्ववत करने के लिए अदालत का हस्तक्षेप आत्यन्तिक रूप से आवश्यक है। नौकरी का मूल्यांकन न केवल कठिन है, बल्कि एक समय लेने वाला कार्य है और इसके लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में नौकरी की आवश्यकताओं की बदलती प्रकृति के कारण बाहरी तुलनाओं और आंतरिक सापेक्षताओं के निरंतर अध्ययन की आवश्यकता होगी।

(6) भारत संघ बनाम भारत संघ में निर्णयों के अनुपात के बाद भारत संघ बनाम तारित रंजन दास 1 में सर्वोच्च न्यायालय प्रदीप कुमार डे **2,** भारतीय स्टेट बैंक बनाम एम**.** आर**.** गणेश बाबू **3** स्टेट ऑफ डब्ल्यू**.** बी**.** बनाम हरि नारायण भोवाल **4,** यू**.** पी**.** बनाम जे**.** पी**.** चौरसिया **5,** एम**.** पी**.** बनाम प्रमोद भारतीय **6,** श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ **7,** सचिव**,** वित्त विभाग और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य **8,** हरियाणा राज्य और अन्य बनाम हरियाणा राज्य व्यक्तिगत सहायक संघ और अन्य लोगों ने यह मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किया कि समानता केवल पदनाम या काम की प्रकृति पर आधारित नहीं है।जिम्मेदारियाँ, विश्वसनीयता, अनुभव, गोपनीयता शामिल, कार्यात्मक आवश्यकता और पदानुक्रम में पद की स्थिति के अनुरूप आवश्यकताएँ, आवश्यक योग्यताएँ जैसे कई अन्य कारक हैं जो विचार के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं।काम की मात्रा समान हो सकती है लेकिन गुणवत्ता अलग-अलग हो सकती है, जिसे केवल इच्छुक पक्षों के हलफनामों में दिए गए कथनों पर भरोसा करके निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका निर्धारण वेतन आयोग और सरकार जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा अपने वित्तीय तंत्र में किया जाना चाहिए, जो कर्तव्य की प्रकृति, जिम्मेदारी और सभी प्रासंगिक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छे न्यायाधीश होंगे।

(7) इसके अलावा, अनुभागीय अधिकारी (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ और अनुभव

---

1 (2003) II एस. सी. सी 658

2 (2000) 8 एस. सी. सी. 580

3 (2002) 4 एस. सी. सी. 556

4 (1994) 4 एससीसी 78

5 (1989) 1 एससीसी 121

6 (1993) 1 एस. सी. सी. 539

7 (1994) 3 एससीसी 1

8 1992 (2) एसएलआर 82 38

1979 के नियमों के परिशिष्ट-बी में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है।इसी तरह, हरियाणा सरकार द्वारा 27 फरवरी, 1992 की अधिसूचना के माध्यम से सहायक अभियंता के पद पर भर्ती के तरीके को अधिसूचित किया गया है, जिसके लिए सीधी भर्ती के मामले में सिविल निर्माण कार्य में पांच साल के अनुभव के साथ ए. एम. आई. ई. योग्यता या सिविल इंजीनियरिंग में बी. ई. डिग्री होनी आवश्यक है।पदोन्नति के लिए उम्मीदवार के पास अनुभागीय अधिकारी (सिविल)/ड्राफ्ट्समैन के रूप में दस साल के अनुभव के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या एएमआईई योग्यता या पांच साल के अनुभव के साथ सिविल इंजीनियरिंग में बी. ई. की डिग्री होनी चाहिए।राज्य ने समझाया है कि "विसंगति" शब्द को 20-04-2001 के सरकारी निर्देशों में परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा के अनुसार यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि एक विसंगति हुई होगीः-

(क) जब सरकार द्वारा अपने सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य वेतन संशोधन अधिसूचना के माध्यम से वेतनमान में संशोधन किया जाता है और अनजाने में चूक के कारण कुछ पदों/विभागों के संबंध में संशोधित वेतनमान निर्धारित नहीं किए जाते हैं;

(ख) जब पदोन्नति पद के लिए निर्धारित कार्यात्मक वेतनमान फीडर पद के कार्यात्मक वेतनमान से कम हो।

(ग) जहां वेतनमान के संशोधन के कारण किसी कर्मचारी के मामले में वेतन का नुकसान होता है।

(घ) जहाँ, पदोन्नति पर, एक कर्मचारी अपनी पदोन्नति से पहले की तुलना में कम परिलब्धि प्राप्त करता है।

(ई) जहाँ एक वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन समान रूप से स्थित कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप निचले स्तर पर तय हो जाता है।

(8) याचिकाकर्ताओं का मामला उपरोक्त परिभाषा के दायरे में नहीं आता है, इसलिए यह विसंगति का मामला नहीं है।मैं सहमत हो जाऊंगा।

(9) याचिकाकर्ता अलग-अलग सेवा शर्तों वाले विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते।मैं भी सहमत हूँ।

(10) श्री बी. एस. राणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को उचित श्रेय देने के लिए यह दर्ज किया गया है कि उन्होंने सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 4216/2001 सहित पांच मामलों पर भरोसा किया है।

एस. के. यादव बनाम हरियाणा राज्य। एस. के. यादव मामले में राज्य सरकार ने कृषि विभाग में याचिकाकर्ताओं सहित सभी इंजीनियरों के वेतनमान को बराबर करने का फैसला किया था।जब सरकार ने लिखित आदेश के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग में अपने समकक्षों के साथ कृषि विभाग के इंजीनियरों को बराबर रखने का एक सचेत निर्णय लिया, तो सरकार निर्णय को लागू करने और समान पाए जाने वालों को समान व्यवहार देने के लिए बाध्य थी।जिस मामले को मैंने पढ़ा है, वह तथ्यों के आधार पर अलग है।मैंने पदों और वेतनमान के समीकरण पर श्री राणा द्वारा उद्धृत निर्णयों को लाभ के साथ पढ़ा है, लेकिन मुझे उनमें से किसी से भी इस मामले में हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाला कोई समर्थन नहीं मिला है।

(11) इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस याचिका में अनुरोध किए गए पद को फिर से नामित करने से इनकार करने में प्रतिवादी की कार्रवाई, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए किसी भी आधार पर अवैध, अन्यायपूर्ण, अनुचित, असंवैधानिक और मनमाना है और इसके विपरीत निर्णय पदों को नामित करने और अनुभागीय अधिकारियों (सिविल) को वेतनमान निर्धारित करने के नियमों के अनुरूप है यदि मत्स्य विभाग, हरियाणा।पुनः पदनाम का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

(12) तदनुसार, इस याचिका में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

ऋतंभ्र ऋषि

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सरिता गुप्ता